सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	फाल्गुन 14, बुधवार, *शाके* 1941–मार्च 04, 2020 *Phalguna 14, Wednesday, Saka 1941–March 04, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 03, 2020

संख्या प. 28(3)चिस्वा/ग्रुप-3/2020 :- राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्याक 25) की धारा 4 के खण्ड (द्वितीय) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद् में सह-चिकित्सा विषय में विशेष ज्ञान रखने वाले निम्नांकित चार सदस्यों को एतद्द्वारा नाम निर्देशित करती है, अर्थात:-

1. डॉ. सुरेन्द्र आबूसरिया, वरिष्ठ विशेषज्ञ, पी.एम.आर., आर.आर.सी. सेन्टर जयपुर।
2. डॉ. सुनील शर्मा, डीएम कार्डियोलॉजी, प्रमुख विशेषज्ञ, एसएमएस चिकित्सालय, जयपुर।
3. डॉ. पी.के. माथुर, नेत्र रोग विशेषज्ञ
4. श्री नरपत सिंह कच्छवाहा, जोधपुर, भारत सेवा संस्थान।

उक्त सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष के लिये होगा।

आज्ञा से

अनिल कुमार कौशिक,

उप शासन सचिव ।

3134

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।